



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271467
CG-DL-E-31032026-271467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 203]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 222(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) “गहराई में स्थित खनिजों” पद से ऐसे खनिज, जो भूमि की सतह से दो सौ मीटर से अधिक की गहराई पर हो और खराब सतह प्रकटता वाले हो, अभिप्रेत हैं।”।

3. उक्त नियम के नियम 12 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(2) पट्टेदार, पट्टाकृत क्षेत्र में, पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए किसी खनिज की खोज को, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या ऐसी खोज की तारीख से साठ दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, पट्टे क्षेत्र में ऐसे खोजे गए खनिज की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा और तब तक प्राप्त और व्ययन नहीं करेगा जब तक कि ऐसे खनिज को खनन पट्टे में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(2क) खनन पट्टे का पट्टेदार अपने खनन पट्टे में गौण खनिज सहित किसी अन्य खनिज को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है और राज्य सरकार ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर धारा 15ख के उपबंध के अनुसार आदेश जारी करके ऐसे खनिज को सम्मिलित करने की अनुमति देगी।

(2ख) उपनियम (2क) के अधीन आदेश जारी होने पर नये खनिज को खनन पट्टे में सम्मिलित माना जाएगा।

(2ग) यदि खनन पट्टे में कोई गौण खनिज सम्मिलित किया जाता है, तो पट्टेदार राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्वामिस्व और अन्य भुगतान करेगा।”।

4. उक्त नियम के नियम 12ख के उपनियम (1) में,—

(क) खंड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे: —

“(i) खान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात जब अंतिम उपयोग संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता पर संचालित होता हो तब पट्टेदार ऐसी कैप्टिव खान में उत्पादित खनिज को बेच सकता है:

परंतु यह कि यदि अंतिम उपयोग संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से कम क्षमता पर संचालित होता है, तो पट्टेदार खनिज की केवल उतनी मात्रा बेच सकता है जो किसी वित्त वर्ष में अंतिम उपयोग संयंत्र में खपत की गई मात्रा से अधिक नहीं हो।”;

(ख) खंड (vii) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 25 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“अध्याय 8-क: खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति में संलग्न क्षेत्र का समावेशन

25क. खनन पट्टे में संलग्न क्षेत्र का समावेशन.—(1) गहराई में स्थित खनिजों के खनन पट्टे का धारक धारा 6क के अधीन अपना आशय प्रस्तावित करते हुए विद्यमान पट्टा क्षेत्र का एक बारगी विस्तार के लिए संलग्न क्षेत्र का समावेशन के लिए और उक्त मामले के लिए संलग्न क्षेत्र में पूर्वक्षण संक्रिया करने की अनुमति के लिए निम्नलिखित विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है, अर्थात्:—

(क) पट्टे में दिए गए क्षेत्र और समावेशन के लिए प्रस्तावित संलग्न क्षेत्र के सीमा निर्देशांक दशमलव डिग्री में;

(ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपोशीट संख्याएं और पट्टा क्षेत्र, समावेशन के लिए प्रस्तावित संलग्न क्षेत्र तथा पड़ोस के क्षेत्रों का मानचित्र;

(ग) संलग्न क्षेत्र में अपेक्षित खनिज और वह आधार जिस पर उक्त क्षेत्र में खनिज संभावना चिह्नित की गई है;

(घ) यह दर्शाने के लिए साक्ष्य कि संलग्न क्षेत्र में विद्यमान पट्टा क्षेत्र में खनिजयुक्त निकाय की भूगर्भीय निरंतरता है;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित उस एजेंसी का नाम और व्यौरा, जिसे आवेदक द्वारा संलग्न क्षेत्र में खोज करने के लिए प्रस्तावित किया गया है; और

(च) आवेदन के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज।

(2) राज्य सरकार, आवेदक को उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्राप्ति की रसीद, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में उस आवेदन पत्र के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर प्रेषित करेगी।

(3) आवेदन की जांच करने और यह संतुष्ट होने पर कि—

(क) क्षेत्र विद्यमान पट्टे से संलग्न है,

(ख) संलग्न क्षेत्र का स्थान विद्यमान पट्टा क्षेत्र में खनिजयुक्त निकाय की भूगर्भीय निरंतरता रखता है,

(ग) संलग्न क्षेत्र विद्यमान पट्टा क्षेत्र के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, और

(घ) ऐसा संलग्न क्षेत्र, जिसमें उसका समीपवर्ती क्षेत्र सम्मिलित हो या न हो, जो पहले से ही किसी खनिज रियायत के अधीन नहीं है और खनन पट्टा प्रदान करने के लिए अलग ब्लॉक के रूप में व्यवहार्य नहीं है,

राज्य सरकार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर आवेदक को, आवेदक की लागत पर, आवेदन में विनिर्दिष्ट गवेषण एजेंसी को संकेतित खनिज संसाधन (332) स्थापित करने के लिए कम से कम जी2 स्तर तक ऐसे क्षेत्र में पूर्वक्षण कार्य करने के लिए नियुक्त करने की अनुज्ञा दे सकती है।

(4) राज्य सरकार उपनियम (3) के अधीन दी गई अनुज्ञा के ब्यौरे केंद्रीय सरकार को नियम 67 के उपबंध के अधीन राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के अनुरोध के साथ सूचित करेगी।

(5) केंद्रीय सरकार उपनियम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर ऐसी अधिसूचना जारी करेगी और केवल ऐसी अधिसूचना जारी होने पर ही गवेषण एजेंसी पूर्वक्षण संक्रिया आरंभ करेगी।

(6) पूर्वक्षण संक्रिया के पूरा होने पर, आवेदक गवेषण एजेंसी द्वारा तैयार की गई भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट को, खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 की अनुसूची-1 के भाग IV-क और भाग IV-ख के अनुरूप ऐसी अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा और उक्त संलग्न क्षेत्र का पूरा या उसका कोई भाग सम्मिलित करने के लिए, विद्यमान पट्टा क्षेत्र के एक बारगी विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) राज्य सरकार को, प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा।

(8) आवेदन की जांच करने तथा यह संतुष्ट होने पर कि भूगर्भीय रिपोर्ट खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुरूप तैयार की गई है, राज्य सरकार उपनियम (9) के अधीन रहते हुए उपनियम (6) के अधीन सम्यक रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर विद्यमान पट्टे में आवेदित क्षेत्र को सम्मिलित करने के अपने निर्णय से अवगत कराते हुए आशय पत्र जारी करेगी।

(9) राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदक को सूचित करके, पट्टा क्षेत्र में संलग्न क्षेत्र को सम्मिलित करते समय आवेदित क्षेत्र को कम कर सकती है या उस क्षेत्र को सम्मिलित करने से इंकार कर सकती है, यदि ऐसे संलग्न क्षेत्र में अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट कोई खनिज है, जहां ऐसे खनिज का ग्रेड, प्रारम्भिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है:

परंतु यह कि संलग्न क्षेत्र को सम्मिलित करने से इंकार करने के मामले में, राज्य सरकार खनन पट्टा धारक को ऐसे इंकार के साठ दिनों के भीतर पूर्वक्षण संक्रियाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

(10) उप-नियम (8) के अधीन पट्टा क्षेत्र में संलग्न क्षेत्र को सम्मिलित करने के आशय पत्र जारी होने पर, आवेदक,—

(क) आवेदित संलग्न क्षेत्र सहित संपूर्ण क्षेत्र के लिए खनन योजना के संबंध में धारा 5 की उप धारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेगा;

(ख) खनन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए लागू विधियों के अधीन अपेक्षित सभी सहमतियां, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, अनापत्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्राप्त करेगा; और

(ग) प्राकूलन संसाधनों के बढ़े हुए मूल्य या बढ़े हुए वित्तीय आश्वासन, जैसा भी मामला हो के अनुरूप बड़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(11) राज्य सरकार, उप-नियम (10) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति होने पर आवेदक के साथ पूरक खनन पट्टा विलेख निष्पादित करेगी और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 10 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन आशय पत्र की तारीख से खनन पट्टे के निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट अवधि, उप-नियम (8) के अधीन आशय पत्र के जारी होने की तारीख से पूरक खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(12) जिस तारीख को सम्यक रूप से निष्पादित पूरक खनन पट्टा विलेख को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वह ऐसे खनन पट्टे के आरंभ होने की तारीख होगी और ऐसे पट्टे की अवधि विद्यमान पट्टे की अवधि के साथ सहविस्तारित होगी।

(13) किसी ऐसे खनन पट्टे का धारक, जिसमें संलग्न क्षेत्र को विद्यमान पट्टे में सम्मिलित किया गया है, विद्यमान पट्टा क्षेत्र तथा सम्मिलित क्षेत्र के लिए उत्पादित और प्रेषित खनिजों, अपशिष्ट, ओवरबर्डन इत्यादि की मात्रा और अन्य विवरणों का शुद्ध और सही लेखा अलग से रखेगा तथा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के उपबंधों के अधीन इसकी अलग से रिपोर्ट देगा।

(14) संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान, खनन पट्टा धारक को पट्टा क्षेत्र के लिए केवल एक बार विस्तार दिया जाएगा और यदि, ऐसे धारक को नियम 25ख के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति के क्षेत्र के विस्तार की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है तो ऐसे पट्टा क्षेत्र के लिए कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

25ख. संयुक्त अनुज्ञप्ति में संलग्न क्षेत्र का समावेशन.—(1) गहराई में स्थित खनिजों के संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक, संलग्न क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र के एक बारगी विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन कर सकेगा, अर्थात:—

(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र और समावेशन के लिए प्रस्तावित संलग्न क्षेत्र के सीमा निर्देशांक दशमलव डिग्री में;

(ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपोशीट संख्याएं और संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र, समावेशन के लिए प्रस्तावित संलग्न क्षेत्र तथा पड़ोस के क्षेत्रों का मानचित्र;

(ग) संलग्न क्षेत्र में अपेक्षित खनिज तथा वह आधार जिस पर उक्त क्षेत्र में खनिज संभावना चिह्नित की गई है;

(घ) संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में किए गए गवेषण संक्रियाओ का ब्यौरा, साक्ष्य के साथ यह दर्शाने के लिए कि संलग्न क्षेत्र में संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में खनिजीकृत निकाय की भूगर्भीय निरंतरता है; और

(ङ) आवेदन के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज।

(2) राज्य सरकार, आवेदक को उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्राप्ति की रसीद, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में उस आवेदन पत्र के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर प्रेषित करेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई क्षेत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि—

(क) क्षेत्र संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र के संलग्न है और संयुक्त अनुज्ञप्ति के विद्यमान क्षेत्र के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है; और

(ख) आवेदक ने संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में यह दिखाने के लिए की संलग्न क्षेत्र संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में खनिजीकृत निकाय की भूगर्भीय निरंतरता है, खोज के युक्तियुक्त स्तर को पूरा कर लिया है।

(4) राज्य सरकार को, प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में आवेदक से कोई अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा।

(5) राज्य सरकार, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि के अध्याधीन, सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर विद्यमान संयुक्त अनुज्ञप्ति में ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित करने के अपने विनिश्चय को आदेश के माध्यम से सूचित करेगी।

(6) राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध करके और आवेदक को सूचित करते हुए,—

(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में संलग्न क्षेत्र को सम्मिलित करने के समय आवेदन किए गए क्षेत्र को कम कर सकेगी; या

(ख) क्षेत्र को सम्मिलित करने से इनकार कर सकेगी यदि आवेदक ने उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया है।

(7) अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में संलग्न क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए उप-नियम (5) के अधीन आदेश जारी होने पर, आवेदक,—

(क) आवेदित संलग्न क्षेत्र सहित पूरे क्षेत्र के लिए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 की अपेक्षा के अनुसार पूर्वक्षण की परिवर्तित स्कीम प्रस्तुत करेगा;

(ख) पूर्वक्षण संक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए लागू विधियों के अधीन यथा आवश्यक सभी सहमतियां, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, अनापत्तियां इत्यादि प्राप्त करेगा; और

(ग) प्राक्कलित संसाधनों के बढ़े हुए मूल्य के अनुरूप वर्धित निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जैसा भी लागू हो।

(8) राज्य सरकार उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने पर आवेदक के साथ संयुक्त अनुज्ञप्ति का पूरक पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित करेगी।

(9) सम्यक रूप से निष्पादित पूरक अनुज्ञप्ति विलेख रजिस्ट्रीकृत होने की तारीख ऐसी अनुज्ञप्ति की प्रारंभ होने की तारीख होगी और ऐसी अनुज्ञप्ति की अवधि विद्यमान अनुज्ञप्ति की अवधि के साथ सहविस्तारित होगी।

(10) अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान केवल एक बार ही अनुज्ञप्ति क्षेत्र का विस्तार प्रदान किया जाएगा।

25ग. खनन पट्टाधारक या संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक द्वारा भुगतान जहां संलग्न क्षेत्र सम्मिलित किया गया है.—(1) नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति में संलग्न क्षेत्र के सम्मिलित होने के मामले में, पट्टाधारक को सम्मिलित किए गए क्षेत्र से प्रेषित किए गए खनिज के संबंध में राज्य सरकार को नीलामी प्रीमियम के दस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त रकम का भुगतान करेगा।

(2) नीलामी से भिन्न माध्यम से दिए गए खनन पट्टे में संलग्न क्षेत्र के सम्मिलित होने के मामले में, पट्टाधारक को सम्मिलित किए गए क्षेत्र से प्रेषित किए गए खनिज के संबंध में राज्य सरकार को खनिज के लिए देय स्वामिस्व के बराबर अतिरिक्त रकम का भुगतान करेगा।

(3) अतिरिक्त रकम, स्वामिस्व या जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास को भुगतान, किसी अन्य कानूनी भुगतान, निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट भुगतान और नीलामी प्रीमियम (जहां भी लागू हो) के अतिरिक्त होगी जो संलग्न क्षेत्र से उत्पादित खनिजों पर देय है।

अध्याय- VIII-ख: गौण खनिज के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में गौण खनिज से भिन्न अन्य किसी खनिज का समावेशन

25घ. गौण खनिज के संबंध में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए गवेषण की आवश्यकता.—(1) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ होने की तारीख से, राज्य सरकार दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले गौण खनिज (बालू को छोड़कर) के संबंध में खनन पट्टा तब तक नहीं देगी जब तक कि खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में यथा विनिर्दिष्ट अनुमानित खनिज संसाधन (333) की उक्त नियमों की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में पुष्टि के लिए कम से कम प्रारंभिक गवेषण (जी3) के बराबर गवेषण पूरा नहीं हो जाता है और उक्त नियमों की अनुसूची-1 के भाग-IV क के अनुरूप भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार स्वयं या धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित एजेंसी के माध्यम से क्षेत्र का गवेषण कर सकेगी।

(3) यदि गवेषण किए जाने वाले क्षेत्र में गौण खनिज से भिन्न कोई अन्य खनिज पाया जाता है, तो राज्य सरकार गौण खनिज से भिन्न अन्य खनिज के संबंध में खनिज रियायत प्रदान करने के लिए क्षेत्र की नीलामी करेगी।

25ड. किसी गौण खनिज के संबंध में प्रदान किए गए खनन पट्टे में गौण खनिज से भिन्न किसी अन्य खनिज को सम्मिलित करना.—(1) गौण खनिज के संबंध में प्रदत्त खनन पट्टे के धारक को पट्टे के क्षेत्र में खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर या ऐसी खोज की तारीख से साठ दिन, जो भी बाद में हो, खनन पट्टे में गैर-विनिर्दिष्ट गौण खनिज से भिन्न किसी अन्य खनिज की खोज की सूचना राज्य सरकार को देगा और वह ऐसे खोजे गए खनिज को अपने पट्टे क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने से पहले प्राप्त और व्ययन नहीं करेगा।

(2) खनन पट्टे का ऐसा धारक अपने खनन पट्टे में इसके सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी खनिज को तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस बात का समाधान न हो जाए कि—

(क) खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से खनन पट्टे के अंतर्गत समस्त संभावित खनिजीकृत क्षेत्र में साधारण गवेषण (जी2 स्तर) किया गया है;

(ख) खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार की गई भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट आवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है।

(4) राज्य सरकार को, प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा।

(5) ऐसे मामलों में, जहां गौण खनिज के संबंध में, खनन पट्टे का निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रारंभ की तारीख से अर्थात् 1 सितंबर, 2025 से पहले किया गया है, राज्य सरकार, उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुपालन के अधीन, सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, खनन पट्टे में गौण खनिज से भिन्न अन्य खनिज को सम्मिलित करने के लिए अपने विनिश्चय को आदेश के माध्यम से सूचित करेगी:

परंतु यह कि राज्य सरकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी परमाणु खनिज को गवेषण में सम्मिलित नहीं करेगी, जहां ऐसे खनिज का ग्रेड ऐसे खनिज के प्रारम्भिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है और ऐसी खोज होने पर ऐसा खनन पट्टा समाप्त कर दिया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, उप-नियम (5) के अधीन आदेश पारित करने पर, गौण खनिज से भिन्न अन्य खनिज को सम्मिलित करने के लिए, खनन पट्टे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो को निम्नलिखित की सूचना देगी—

(क) उस क्षेत्र का विस्तार जिसमें गौण खनिज से भिन्न खनिज की उपस्थिति प्रमाणित है;

(ख) ऐसे क्षेत्र में प्रमाणित खनिज का प्रकार;

(ग) गौण खनिज से भिन्न खनिज की मात्रा और ग्रेड;

(घ) पट्टे में विद्यमान गौण खनिज की मात्रा और ग्रेड।

(7) यदि आवेदक ने उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, तो राज्य सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध करके, पट्टे में अन्य खनिज को सम्मिलित करने से अपने इनकार के बारे में आवेदक को सूचित कर सकेगी।

(8) खनन पट्टे का धारक, जिसमें खनिज को इस नियम के अधीन सम्मिलित किया गया है, निम्नलिखित करेगा,—

(क) खनन पट्टे क्षेत्र के लिए मात्रा और अन्य विवरणों को अलग से दिखाते हुए खाते का शुद्ध और सही रख-रखाव करेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(i) सम्मिलित किए गए खनिजों सहित प्राप्त और वहां से प्रेषित किए गए सभी खनिज;

(ii) ऐसे क्षेत्र से उत्खनित अपशिष्ट पदार्थ; और

(iii) खान की पूरी योजना;

(ख) गौण खनिज से भिन्न अन्य खनिजों के संबंध में, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के उपबंधों का अनुपालन; और

(ग) गौण खनिज के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट या निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अतिरिक्त, उक्त नियमों के नियम 12 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा।

(9) किसी गौण खनिज के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में गौण खनिज से भिन्न किसी अन्य खनिज को सम्मिलित करने के मामले में, पट्टाधारक सम्मिलित किए गए खनिज के प्रेषण पर अधिनियम की अष्ट अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम का भुगतान करेगा:

परंतु यह कि यदि गौण खनिज पट्टे की नीलामी राज्य सरकार द्वारा किए जाने के मामले में जहां उद्धृत नीलामी प्रीमियम खनिज के प्रेषण के मूल्य पर आधारित नहीं था, वहाँ पट्टाधारक इस नियम के अधीन अतिरिक्त रकम के रूप में खनन पट्टे में सम्मिलित किए गए खनिज के स्वामिस्व के बराबर रकम का भुगतान करेगा।”।

[फा. सं. एम.VI-1/6/2025-खान VI]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

नोट- खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 4 मार्च, 2016 के संख्यांक सा.का.नि. 279(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम बार तारीख 12 जनवरी, 2026 के संख्यांक सा.का.नि. 22(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:

“(aa) “deep-seated minerals” means such minerals which occur at a depth of more than two hundred meters from the surface of land with poor surface manifestations.”.

3. In the said rules, in rule 12, for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely: —

“(2) The lessee shall report to the State Government, the discovery in the leased area of mineral not specified in the mining lease within a period of six months from the date of commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026 or sixty days from the date of such discovery, whichever is later, and shall not win and dispose of such discovered mineral until such mineral is included in the mining lease.

(2A) A holder of a mining lease may apply to the State Government for inclusion of any other mineral, including a minor mineral, in his mining lease and the State Government shall by order permit inclusion of such mineral within a period of sixty days of such application in accordance with the provision of section 15B.

(2B) Upon issuance of the order under sub-rule (2A), such other mineral shall be deemed to be included in the mining lease.

(2C) In case a minor mineral is included in the mining lease, the lease holder shall pay royalty and other payments as may be specified by the State Government.”;

4. In the said rules, in rule 12B, in sub-rule (1), —

(i) for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted namely: —

“(i) lessee may sell the mineral produced in such captive mine after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine when the end use plant operates at its full capacity:

Provided that in case the end use plant operates at a capacity lower than its full capacity, then the lessee may sell only such quantity of mineral which is not more than the quantity consumed in the end use plant in a financial year.”;

(ii) clause (vii) shall be omitted.

5. In the said rules, after rule 25, the following shall be inserted, namely: —

**“CHAPTER VIII-A: INCLUSION OF CONTIGUOUS AREA IN MINING LEASE OR
COMPOSITE LICENCE**

25A. Inclusion of contiguous area in mining lease. — (1) The holder of a mining lease of deep-seated minerals may make an application to the State Government proposing its intention to seek one-time extension of the existing leased area to include therein a contiguous area under the provisions of section 6A and for the said matter to permit undertaking prospecting operations in the contiguous area, specifying the following details, namely: —

(a) boundary coordinates of the leased area and of the contiguous area proposed for inclusion in decimal degree;

(b) Survey of India Toposheet numbers and maps of leased area, contiguous area proposed for inclusion and the neighbouring areas;

(c) mineral expected in the contiguous area and the basis on which mineral potential in the said area is identified;

(d) evidence to show that contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the existing leased area;

(e) name and details of the agency specified or notified under the second proviso to sub-section (1) of section 4 that is proposed by the applicant for undertaking exploration in the contiguous area; and

(f) any other document in support of the application.

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application submitted under sub-rule (1) to the applicant in the format specified in Schedule II within a period of three days from the date of receipt of the application thereof.

(3) Upon examination of the application and on being satisfied that —

(a) such area is contiguous to the existing lease;

(b) location of the contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the existing leased area;

(c) the contiguous area is not exceeding ten per cent. of the existing leased area; and

(d) such contiguous area, with or without including its adjacent area which is not already held under any mineral concession, is not viable as a separate block for grant of mining lease,

the State Government may, within a period of sixty days from the date of receipt of the application, permit the applicant to engage the exploration agency specified in the application, at the cost of the applicant, to undertake prospecting operations over such area up to at least G2 level to establish Indicated Mineral Resource (332).

(4) The State Government shall intimate the details of permission granted under sub-rule (3) to the Central Government with the request to issue notification in the Official Gazette under the provisions of rule 67.

(5) The Central Government shall issue such notification within a period of sixty days of the receipt of intimation under sub-rule (4) and only upon issuance of such notification, the exploration agency shall commence prospecting operations.

(6) Upon completion of the prospecting operations, the applicant shall submit the geological study report prepared by exploration agency conforming to Part IV-A and Part IV-B of Schedule-I of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, within a period of three years from the date of issuance of such notification and may apply for one-time extension of the existing leased area to include therein the whole or part of the said contiguous area.

(7) The State Government shall have the right to seek relevant additional information, document or clarification from the applicant with respect to the application made.

(8) Upon examination of the application and on being satisfied that geological report has been prepared conforming to the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the State Government shall, subject to the provisions of sub-rule (9), issue a letter of intent communicating its decision to include the applied area in the existing lease within a period of sixty days from the date of receipt of the duly completed application under sub-rule (6).

(9) The State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, reduce the applied area at the time of inclusion of the contiguous area in the leased area or may refuse to include the area, if such contiguous area contains any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the grade of such mineral is equal to or above the threshold value:

Provided that in the case of refusal to include the contiguous area, the State Government shall reimburse the expenditure incurred towards prospecting operations to the mining lease holder within a period of sixty days of such refusal.

(10) Upon issuance of letter of intent under sub-rule (8) for inclusion of contiguous area in the leased area, the applicant shall, —

(a) satisfy the conditions specified in clause (b) of sub-section (2) of section 5 with respect to a mining plan for the entire area including the applied contiguous area;

(b) obtain all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under the applicable laws for commencement of mining operations; and

(c) furnish enhanced performance security commensurate to the increased value of estimated resources or enhanced financial assurance, as the case may be.

(11) The State Government shall execute a supplementary mining lease deed with the applicant upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (10), and the period specified for execution of mining lease from the date of the letter of intent under the provisos to sub-rule (6) of rule 10 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 shall apply *mutatis mutandis* for execution of supplementary mining lease deed from the date of letter of intent issued under sub-rule (8).

(12) The date of commencement of duly executed supplementary mining lease shall be the date of registration of such supplementary mining lease and the period of such lease shall be co-terminus with the period of existing mining lease.

(13) The holder of a mining lease wherein the contiguous area has been included in the existing lease, shall separately maintain accurate and faithful accounts of the quantity and other particulars of the minerals, waste, overburden or the like produced and dispatched for the existing leased area and included area and shall report the same separately under the provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017.

(14) The holder of a mining lease shall be granted extension of lease area only once during the entire lease period and in case such holder has already been granted extension of area of composite licence under rule 25B, then no extension shall be granted for such lease area.

25B. Inclusion of contiguous area in composite licence. — (1) The holder of a composite licence in respect of deep-seated minerals may make an application to the State Government for a one-time extension of the area under the composite licence to include therein a contiguous area, specifying the following details, namely: —

- (a) boundary coordinates of the area under composite licence and of the contiguous area proposed for inclusion in decimal degree;
 - (b) Survey of India Toposheet numbers and maps of area under the composite licence, contiguous area proposed for inclusion and the neighbouring areas;
 - (c) mineral expected in the contiguous area and the basis on which mineral potential in the said area is identified;
 - (d) details of the exploration operations undertaken in the area under composite licence with evidence to show that contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the area under composite licence; and
 - (e) any other document in support of the application.
- (2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application submitted under sub-rule (1) to the applicant in the format specified in Schedule II within a period of three days from the date of receipt of the application thereof.
- (3) No such area shall be granted by the State Government unless, it is satisfied that, —
- (a) the area is contiguous to the area under composite licence and is not exceeding thirty per cent. of the existing area of composite licence; and
 - (b) the applicant has completed reasonable level of exploration in the area under composite licence to show that contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the area under the composite licence.
- (4) The State Government shall have the right to seek any additional information, document or clarification from the applicant with respect to the application made.
- (5) The State Government shall, subject to the satisfaction of the conditions specified in sub-rule (3), communicate its decision through an order to include such area in the existing composite licence within a period of sixty days from the date of receipt of the duly completed application.
- (6) The State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant,—
- (a) reduce the area applied for at the time of inclusion of the contiguous area in the area under composite licence; or
 - (b) may refuse to include the area in case the applicant has not complied with the conditions specified in sub-rule (3).
- (7) Upon issuance of an order under sub-rule (5) for inclusion of contiguous area in the area under composite licence, the applicant shall, —
- (a) submit a modified scheme of prospecting in accordance with of the requirement of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, for the entire area including the applied contiguous area;
 - (b) obtain all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under the applicable laws for commencement of prospecting operations; and
 - (c) furnish enhanced performance security commensurate to the increased value of estimated resources as may be applicable.
- (8) The State Government shall execute a supplementary prospecting licence deed of composite licence with the applicant upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (7).
- (9) The date of commencement of a duly executed supplementary licence deed shall be the date of registration of such licence deed and the period of such licence shall be co-terminus with the period of existing licence.

(10) The licence holder shall be granted extension of the licence area only once during the licence period.

25C. Payment by mining lease holder or composite licence holder where contiguous area is included. — (1) In case of the inclusion of contiguous area in a mining lease or a composite licence granted through auction, the lease holder shall pay an additional amount equal to ten per cent. of the auction premium to the State Government in respect of the mineral dispatched from the included area.

(2) In case of the inclusion of contiguous area in a mining lease granted otherwise through auction, the lease holder shall pay an additional amount equal to the royalty payable for the mineral to the State Government in respect of the mineral dispatched from the included area.

(3) The additional amount shall be in addition to royalty or payment to the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration and Development Trust, any other statutory payment, payment specified in the tender document and the auction premium (wherever applicable) which is payable on the minerals produced from the contiguous area.

CHAPTER VIII-B: INCLUSION OF ANY MINERAL OTHER THAN MINOR MINERAL IN MINING LEASE GRANTED IN RESPECT OF A MINOR MINERAL

25D. Exploration requirement for grant of mining lease in respect of minor mineral.— (1) On and from the date of commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026, the State Government shall not grant a mining lease in respect of a minor mineral (other than sand) having an area above two hectares unless the exploration equivalent to at least Preliminary Exploration (G3) to establish Inferred Mineral Resource (333) as specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, in respect of the minerals specified in Schedule-II of the said rules is completed in the area and a geological study report has been prepared conforming to Part IV-A of Schedule-I of the said rules.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the State Government may explore the area itself or through an agency specified or notified under sub-section (1) of section 4.

(3) In case a mineral other than minor mineral is discovered in the area upon the exploration, the State Government shall auction the area for grant of mineral concession in respect of the mineral other than minor mineral.

25E. Inclusion of any mineral other than minor mineral in mining lease granted in respect of a minor mineral.— (1) The holder of a mining lease granted in respect of a minor mineral shall report to the State Government, the discovery in the leased area of any mineral other than minor mineral not specified in the mining lease within a period of six months from the date of commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026 or sixty days from the date of such discovery, whichever is later and shall not win and dispose of such discovered mineral before such mineral is included in his lease area.

(2) Such holder of a mining lease may make an application to the State Government for its inclusion in his existing mining lease.

(3) No such mineral shall be included by the State Government unless it is satisfied that—

(a) General exploration (G2 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease has been carried out in the manner as specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(b) a Geological Study Report prepared in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, has been submitted to the State Government along with the application.

(4) The State Government shall have the right to seek any additional information, document or clarification from an applicant with respect to the application made.

(5) In cases where mining lease in respect of minor mineral is executed and registered before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2025 (28 of 2025), that is, the 1st September, 2025, the State Government shall, subject to the compliance of the provisions of sub-rule (3), communicate its decision through an order for inclusion of mineral other than minor mineral in the mining lease within a period of sixty days from the date of receipt of the duly completed application:

Provided that the State Government shall not include the atomic mineral as specified in Part B of the First Schedule to the Act discovered in the exploration, where the grade of such mineral is equal

to or above the threshold value of such mineral and on its discovery, such mining lease shall be terminated.

(6) The State Government, upon passing of the order under sub-rule (5) for inclusion of mineral other than minor mineral, shall intimate the following information to the Indian Bureau of Mines in respect of such mining lease, —

- (a) the extent of area in which the presence of mineral other than minor mineral has been established;
- (b) type of mineral established in such area;
- (c) quantity and grade of mineral other than minor mineral;
- (d) quantity and grade of minor mineral present in the lease.

(7) In case where the applicant has not complied with the conditions specified in sub-rule (3), the State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, communicate to the applicant, its refusal to include other mineral in the lease.

(8) The holder of a mining lease wherein mineral has been included under this rule shall, —

- (a) maintain accurate and faithful accounts separately, showing the quantity and other particulars for mining lease area including: —
 - (i) all minerals obtained and dispatched therefrom including the minerals included;
 - (ii) waste material excavated from such area; and
 - (iii) complete plans of the mine;
- (b) comply with the provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, in respect of minerals other than a minor mineral; and
- (c) comply with the terms and conditions as specified in rule 12 of said rules, in addition to the terms and conditions as specified by the State Government in respect of a minor mineral.

(9) In case of inclusion of any mineral other than a minor mineral in mining lease granted in respect of a minor mineral, the lessee shall pay the additional amount as specified in Eighth Schedule to the Act, upon dispatch of the included mineral:

Provided that in case the minor mineral lease was auctioned by the State Government where the auction premium quoted was not based on value of mineral dispatched, then the lease holder shall pay an amount equivalent to the royalty of the mineral included in the mining lease under this rule as the additional amount.”

[F. No. M.VI-1/6/2025-Mines VI]

SHAKIL ALAM, Economic Advisor

Note.—The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 22(E), dated the 12th January, 2026.